न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 229/2023

1. आनन्द कुमार पुत्र रायसाहब जाति जाट साकिन 12 एम.जे.डी. पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. रायसाहब पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट साकिन 12 एम.जे.डी. पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. रमेश कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट साकिन 12 एम.जे.डी. पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

———वादीगण

बनाम

1. पृथ्वीराज पुत्र दलीपराम जाति जाट साकिन 12 एम.जे.डी. पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. आरजू पुत्री रायसाहब जाति जाट साकिन 12 एम.जे.डी. पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. मैना पुत्री पृथ्वीराज पत्नी अशोक कुमार जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. पंजाब नैशनल बैक शाखा धौलीपाल जरिये शाखा प्रबन्धक
5. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

———प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण :—

1. श्री कुलदीप मूण्ड —वकील वादीगण
2. श्री संतोष सोलकी —वकील प्रति.सं. 1ता3

वाद बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन

निर्णय दिनांक :—03/05

वादीगण आनन्द कुमार वगैरा ने प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं खाता विभाजन के तहत दिनांक 29.05.2023 को इस न्यायालय में पेश किया। वादी व प्रतिवादीगण ने अपना रजिस्टर्ड पता वाद प[illegible] मे सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार पेश कर अंकित किया है। वादपत्र की चरण [illegible] मे वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की वंशावली को दर्शाया [illegible] सं. 1 के दादा व वादी सं. 2 व 3 के पिता है तथा प्रतिवादी सं. 2 [illegible]दाद व प्रतिवादी सं. 3 के पिता है। जो कि एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। प्रतिवादीगण सं. 1 के नाम तहसील संगरिया के चक नं. 14 एम.जे.डी. खाता सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:21:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

55 / 39 जं.सं. 2070–73 में कुल 6.831 है. व चक नं. 18 एम.जे.डी. खाता सं. 119 / 68 जं.सं. 2071–74 में 316 / 14674 हिस्सा यानि 0.316 है. व चक नं. 9 डी. एल.पी. खाता सं. 20 / 25 जं.सं. 2075–78 में 980 / 11638 हिस्सा यानि 0.980 है. व इसी चक के खाता सं. 33 / 42 में 0.696 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रति. सं. 1 वादी सं. 1 के दादा व वादी सं. 2 व 3 के पिता है तथा प्रतिवादी सं. 2 के दाद व प्रतिवादी सं. 3 के पिता है जो कि एक हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादपत्र के चरण सं. 3 मे वर्णित कृषि भूमि प्रति.सं. 1 को विरासतन प्राप्त हुई इसलिए वादीगण का जन्म से हित एवं स्वतव निहित हैं। परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि बंटवारा अनुसार वादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही होने के कारण तथा प्रति.सं. 1 के अन्य लोगो के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादीगण व प्रति.सं. 1 ता 3 के मध्य आपस में कटुता पैदा हो गई है। इससे रिश्तेदारो द्वारा जरिये पंचायत वादीगण एवं प्रति.सं. 1 ता 3 के मध्य राजीनामा एवं घरू बंटवारा करवा दिया है। जिसमें प्रति.सं. 2 ने वादी सं. 2 अपने पिता व प्रतिवादी सं. 3 ने वादी सं. 2 व 3 भाई प्रतिवादी सं. 1 अपने पिता के हक में उक्त कृषि भूमि में अपना हिस्सा मौखिक रूप से परित्याग कर दिया है। प्रति.स. 2 व 3 का अब उक्त कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नही रहा है तथा प्रतिवादी सं. 1 ने अपना हिस्सा चक नं. 18 एम.जे.डी. खाता सं. 119 / 68 जं.सं. 2071–74 में 316 / 14674 हिस्सा यानि 0.316 है. व चक नं. 9 डी.एल.पी. खाता सं. 20 / 25 जं.सं. 2075–78 में 980 / 11638 हिस्सा यानि 0.980 है. व इसी चक के खाता सं. 33 / 42 में 0.696 है. कृषि भूमि स्वयं के हिस्सा में रख ली है तथा वादीगण को बंटवारा में प्राप्त कृषि भमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

(क) वादी सं. 1 आनन्द कुमार पुत्र रायसाहब जाति जाट साकिन 12 एम.जे.डी. पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया के हिस्सा की कृषि भमि :–
तहसील संगरिया के चक नं. 14 एम.जे.डी. खाता सं. 55 / 39 जं.सं. 2070–73

पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
130 / 183	43	2ता4 / 0.253 है.प्र., 5 / 1 / 0.228, 5 / 2 / 0.025

कुल 1.012 है. मय गै.मु. कृषि भूमि।

(ख) वादी सं. 2 रायसाहब पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट साकिन 12 एम.जे.डी. [illegible] वाली ढाणी तहसील संगरिया के हिस्सा की कृषि भमि :–
तहसील संगरिया के चक नं. 14 एम.जे.डी. खाता सं. 55 / 39 जं.स. 2070–73

पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
130 / 183	43	1 / 0.127, 6 / 1 / 0.228, 6 / 2 / 0.025, 7 ता10 / 0.253 है.प्र. 12–13–14 / 0.253 है.प्र. 15 / 1 / 0.228, 15 / 2 / 0.025 है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.04.26 11:21:48
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

कुल 2.404 है. मय गै.मु. कृषि भूमि।

वादी सं. 3 रमेश पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट साकिन 12 एम.जे.डी. पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया के हिस्सा की कृषि भमि :–

तहसील संगरिया के चक नं. 14 एम.जे.डी. खाता सं. 55/39 जं.सं. 2070–73

पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
129/182	41	16/1/0.228, 16/2/0.025 25/1/0.228, 25/2/0.025 कुल 0.506 है. मय गै.मु. कृषि भूमि।
130/182	42	15/1/0.228, 15/2/0.025 है. 16/1/0.228, 16/2/0.025 है. 17 ता 24/0.253 है.प्र., 25/1/0.228 है. 25/2/0.025 है.कुल 2.783 है. मय गै.मु.
130/183	43	1/0.126 है.

कुल योग 0.506+2.783+0.126 = 3.415 है. मय गै.मु.।

वादीगण ने घरू बंटवारा मुताबिक अपने हिस्सा में आई कृषि भूमि पर काफी श्रम व पैसा खर्च कर भूमि सुधार किया है व उसे काश्त योग्य बनाया है इसलिए वादीगण घोषणा एवं खाता विभाजन करवाकर रकम राज अलग से कायम करवाने के मुस्तहक एवं दावेदार है। वादीगण एवं प्रति.सं. 1 ता 3 को विरासतन तौर पर प्राप्त समस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन वादपत्र की चरण 3 में कर दिया गया है। वादपत्र की चरण सं. 4 (क)(ख)(ग) के अनुसार वादीगण खातेदारी की घोषणा एवं खाता विभाजन करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। प्रति.सं. 1 को उक्त कृषि भूमि विरासतन तौर पर प्राप्त हुई है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को बंटवारे अनुसार कृषि भूमि दर्ज करवाने हेतू कहा तो कुछ दिन तो प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे एवं अन्त में पिछले सप्ताह ऐसा करने से कत्तई इन्कार हो गये बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं. 1 ता 3 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश हुआ। प्रति.सं. 4 बैक ने जवाबदावा पेश कर बैक हित को ध्यान में रखने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 5 जवाब स्टेट पेश हुआ जिसमें राज्यहित को मध्यनजर रखने की ईस्तदुआ की गई। वादपत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा पैतृक सम्पत्ति के साक्ष्य के तौर पर जमाबन्दी चक 14 एम.जे.डी. खाता सं. 55/39 जं.सं. 2070–73, चक नं. [illegible] खाता सं. 119/68 जं.सं. 2071–74, चक नं. 9 डी.एल.पी. खाता सं. 33/4 [illegible] सं. 20/25 जं.सं. 2075–78 की प्रति पेश की। जमाबन्दी [illegible] EXP-[illegible] EXP-4 प्रदर्श किये गये। साक्ष्य वादी में वादी रमेश कुमार का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:21:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

बहस में वादी अभिभाषक ने कथन किया कि प्रति.सं. 1 वादी सं. 1 के दादा व वादी सं. 2 व 3 के पिता है तथा प्रतिवादी सं. 2 के दादा व प्रतिवादी सं. 3 के पिता है जो कि एक हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादपत्र के चरण सं. 3 मे वर्णित कृषि भूमि प्रति.सं. 1 को विरासतन प्राप्त हुई इसलिए वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित हैं। साक्ष्य में जमाबन्दी चक नं. 14 एम.जे.डी. खाता सं. 17/15 जं.सं. 2058 पेश हुई जो कि वादीगण के दादा के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। सहमति का जवाब दावा प्रति.सं. 1 ता 3 ने पेश किया, कोई विरोध नही है। मुताबिक अनुतोष वाद पत्र डिक्री किया जावे। बहस में प्रति.सं. 1ता 3 के अभिभाषक ने जवाबदावा अनुसार वादपत्र डिक्री करने पर सहमति दी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। वकील वादी ने पैतृक कृषि भूमि अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

वादपत्र में वर्णित आराजी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी चक नं. 14 एम.जे.डी. खाता सं. 17/15 जं.सं. 2058 में वादीगण के पड़दादा/दादा दलीप के नाम से दर्ज है। प्रति.सं. 1 ता 4 का सहमति का जवाबदावा पेश होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। वादपत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति का जवाबदावा के आधार पर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है कि :–

(क) वादी सं. 1 आनन्द कुमार पुत्र रायसाहब जाति जाट साकिन 12 एम.जे.डी. पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया के हिस्सा की कृषि भमि :–

तहसील संगरिया के चक नं. 14 एम.जे.डी. खाता सं. 55/39 जं.सं. 2070–73

पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
130/183	43	2ता4/0.253 है.प्र., 5/1/0.228, 5/2/0.025

कुल 1.012 है. मय गै.मु. कृषि भूमि।

(ख) वादी सं. 2 रायसाहब पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट साकिन 12 एम.जे.डी. पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया के हिस्सा की कृषि भमि :–

तहसील संगरिया के चक नं. 14 एम.जे.डी. खाता सं. 55/39 जं.सं. 2070–73

पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
130/183	43	1/0.127, 6/1/0.228 है. 6/2/0.025, 7ता10/0.253 है. 12–13–14/0.253 है. 15/1/0.228, 15/2/0.025

कुल 2.404 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.04.26 11:21:48
Reason: SelfAttested

(ग) वादी सं. 3 रमेश पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट साकिन 12 एम.जे.डी. पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया के हिस्सा की कृषि भमि :–

तहसील संगरिया के चक नं. 14 एम.जे.डी. खाता सं. 55/39 जं.सं. 2070–73

पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
129/182	41	16/1/0.228, 16/2/0.025

कलेक्टर एवं
अधिकारी

		25/1/0.228, 25/2/0.025 कुल 0.506 है. मय गै.मु. कृषि भूमि।
130/182	42	15/1/0.228, 15/2/0.025 है. 16/1/0.228, 16/2/0.025 है. 17 ता 24/0.253 है.प्र., 25/1/0.228 है. 25/2/0.025 है.कुल 2.783 है. मय गै.मु.
130/183	43	1/0.126 है.

कुल योग 0.506+2.783+0.126 = 3.415 है. मय गै.मु.।

उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का खाता अलग से कायम कर रकमराज अलग से कायम की जावे। चक नं. 14 एम.जे.डी. के खाता सं. 55/39 में पृथ्वीराज के नाम दर्ज आराजी का उक्तानुसार वादीगण का खाता तकसीम किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जावे तथा प्रतिवादी सं. 1 पृथ्वीराज का नाम कलमजन किया जावे।

आराजी बैक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। नियमानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02/03/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:21:48 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमे ईबादाई

अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 229/2023

1. आनन्द कुमार पुत्र रायसाहब जाति जाट साकिन 12 एम.जे.डी. पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. रायसाहब पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट साकिन 12 एम.जे.डी. पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. रमेश कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट साकिन 12 एम.जे.डी. पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

---वादीगण

बनाम

1. पृथ्वीराज पुत्र दलीपराम जाति जाट साकिन 12 एम.जे.डी. पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. आरजू पुत्री रायसाहब जाति जाट साकिन 12 एम.जे.डी. पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. मैना पुत्री पृथ्वीराज पत्नी अशोक कुमार जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. पंजाब नैशनल बैक शाखा धौलीपाल जरिये शाखा प्रबन्धक
5. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

---प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88, 53 आर.टी.ए. **दिनांक** :- 07.03.2024

यह राजस्व मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मूण्ड वकील वादीगण मिन जामिन मुदई व श्री संतोष सोलंकी वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की उपस्थिति में यह डिक्री दी जाती है कि

(क) वादी सं. 1 आनन्द कुमार पुत्र रायसाहब जाति जाट साकिन 12 एम.[illegible] वाली ढाणी तहसील संगरिया के हिस्सा की कृषि भूमि [illegible] तहसील संगरिया के चक नं. 14 एम.जे.डी. खाता [illegible] सं. 2070

पं.नं.	मु.नं.	[illegible]
130/183	43	2014/0.253 [illegible]
		6/2/0.026

कुल 1.012 [illegible]

[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.04.26 11:21:48 IS
Reason: SelfAttested

(ख) वादी सं. 2 रायसाहब पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट साकिन 12 एम.जे.डी. पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया के हिस्सा की कृषि भमि :–

तहसील संगरिया के चक नं. 14 एम.जे.डी. खाता सं. 55/39 जं.सं. 2070–73

पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
130/183	43	1/0.127, 6/1/0.228 है. 6/2/0.025, 7 ता10/0.253 है.प्र. 12–13–14/0.253 है.प्र. 15/1/0.228, 15/2/0.025 है. कुल 2.404 है. मय गै.मु. कृषि भूमि।

(ग) वादी सं. 3 रमेश पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट साकिन 12 एम.जे.डी. पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया के हिस्सा की कृषि भमि :–

तहसील संगरिया के चक नं. 14 एम.जे.डी. खाता सं. 55/39 जं.सं. 2070–73

पं.नं.	मु.नं.	कि.नं.
129/182	41	16/1/0.228, 16/2/0.025 25/1/0.228, 25/2/0.025 कुल 0.506 है. मय गै.मु. कृषि भूमि।
130/182	42	15/1/0.228, 15/2/0.025 है. 16/1/0.228, 16/2/0.025 है. 17 ता 24/0.253 है.प्र., 25/1/0.228 है. 25/2/0.025 है.कुल 2.783 है. मय गै.मु.
130/183	43	1/0.126 है.

कुल योग 0.506+2.783+0.126 = 3.415 है. मय गै.मु.।

उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का खाता अलग से कायम कर रकमराज अलग से कायम की जावे। चक नं. 14 एम.जे.डी. के खाता सं. 55/39 में पृथ्वीराज के नाम दर्ज आराजी का उक्तानुसार वादीगण का खाता तकसीम किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जावे तथा प्रतिवादी सं. 1 पृथ्वीराज का नाम कलमजन किया जावे।

आराजी बैक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज...X...निल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत...X...निल...X...खर्चा मुकदमें तक ...X... को के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक अदा करें।

बसबब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक .... को जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.04.26 11:21:48
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया